प्रेषक,

निदेशक मत्स्य
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी/अधिशाषी निदेशक,
मत्स्य पालक विकास अभिकरण,
फिरोजाबाद/मथुरा/काशीरामनगर/आजमगढ़/मऊ/बलिया/इलाहाबाद
कौशाम्बी/फतेहपुर/कानपुर देहात/इटावा/औरैया/गोरखपुर/देवरिया
महराजगंज/कुशीनगर/बांदा/हमीरपुर/महोबा/झांसी/गोण्डा/बहराइच/
श्रावस्ती/फैजाबाद/अम्बेडकर नगर/सुल्तानपुर/बरेली/शाहजहांपुर/
पीलीभीत/बस्ती/संतकबीर नगर/सिद्धार्थनगर/गाजियाबाद/गौतमबुद्धनगर/
बुलन्दशहर/मुरादाबाद/बिजनौर/लखनऊ/उन्नाव/रायबरेली/हरदोई/
लखीमपुर खीरी/वाराणसी/चन्दौली/गाजीपुर/जौनपुर/मिर्जापुर/
सोनभद्र/संतरविदास नगर/मुजफ्फर नगर ।

पत्रांक: 240 /नि0शा0/16-22§9§/वि0स्की0 दिनांक 15 जून, 2010

विषय: केन्द्र पुरोनिधानित राष्ट्रीय मछुआ कल्याण योजनान्तर्गत वर्ष 2010-11 में वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने हेतु ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0 1578/तत्रह-म-10-11-1-म§6§/2006 मत्स्य उत्पादन अनुभाग दिनांक 4 जून 2010 के द्वारा रू0 2,98,50000/=§दो करोड़ अट्ठान्वे लाख पचास हजार§ जिसमें रू0 1,49,25,000/=§एक करोड़ उन्चास लाख पच्चीस हजार§ राज्यांश तथा रू0 1,49,25,000/=§एक करोड़ उन्चास लाख पच्चीस हजार§ केन्द्रांश सम्मिलित है, की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान की गई है। चूंकि मछुआ आवासों का निर्माण जनपद में स्थापित मत्स्य पालक विकास अभिकरणों के माध्यम से कराया जाता है इसलिये संलग्न तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी/अधिशाषी निदेशक मत्स्य पालक विकास अभिकरण को स्तम्भ-4 में अंकित धनराशि आवंटित की जाती है।

1- उपरोक्त धनराशि भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों एवं शासन द्वारा निर्धारित पूर्व नियमों एवं प्रतिबंधों तथा निर्धारित गाइड लाइन्स के अनुसार व्यय की जायेगी ।

2- मछुआ आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने से पूर्व लाभार्थियों की सूची शासन एवं निदेशालय को उपलब्ध करायी जाये ।

3- उक्त योजनान्तर्गत मछुआ आवासों के निर्माण का कार्य जिला स्तर पर इन्दिरा आवास योजना के अनुसारश्र शासनादेश संख्या-3034-57-आ0-96-7§27§/84 दिनांक-3 दिसम्बर, 1990 एवं शासनादेश संख्या-1083-57-आ0-2001-10-7§27§/84 दिनांक-21 अप्रैल, 2001 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार सम्पादित कराया जायेगा ।

क्रमशः 2 पर/====

4- उक्त धनराशि के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार तथा शासन एवं महालेखाकार उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को निदेशक मत्स्य के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा। योजना के अन्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से निदेशालय एवं शासन को समय-समय पर अवगत कराया जाये।

उपरोक्त व्यय वाले वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-17 के अ अधीन लेखा शीर्षक 2405 मछली पालन-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0103-नेशनल फिशरमैन वेल्फेयर फण्ड की योजना §के0 50% /RTO 50% §-27-सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त §आय-व्ययक§ अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-1685/दस-16/1992 दिनांक 7 जुलाई 1992 में प्रदत्त अधिकारों एवं कार्यालय ज्ञाप सं0 बी-1-951/ दस-2019-231/2010 दिनांक 26 मार्च 2010 के अनुसार जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक- जनपदवार तालिका,

भवदीय,

ह0/=

§डा0 हरशरण दास§
निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक: 240 /नि0शा0/16-22§9§/वि0स्वी0/दिनांक उक्तवत् ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, कार्यालय-महालेखाकार§लेखा परीक्षा§प्रथम उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2- अनुसचिव, मत्स्य भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, पशुपालन एवं डेयरी विभाग कृषि भवन नई दिल्ली ।
3- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
4- सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
5- सम्बन्धित जिलों के कोषाधिकारी उत्तर प्रदेश ।
6- सम्बन्धित मण्डलीय उप निदेशक मत्स्य, उत्तर प्रदेश ।
7- सम्बन्धित मुख्य कार्यकारी अधिकारी/सहायक निदेशक मत्स्य, मत्स्य पालक विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश ।
8- वित्त §व्यय नियंत्रण§ अनुभाग-2 वित्त §आय-व्ययक§ अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3/ वित्त संसाधन §केन्द्रीय सहायता§ अनुभाग-1 ।
9- गार्ड फाइल/सम्बन्धित पटल प्रभारी ।

§एम0एम0अन्सारी§
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी,
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ ।

मछुआ आवास योजनान्तर्गत वर्ष 2010-11 हेतु निर्धारित जनपदवार लक्ष्य

क्र0सं0	जनपद का नाम	लक्ष्य	आवंटित धनराशि रू0 @ 0.45 लाख प्रति आवास की दर से
1	2.	3	4
1	फिरोजाबाद	10	4.50
2	मथुरा	10	4.50
	आगरा मण्डल	20	9.00
3	कांशीराम नगर	10	4.50
	अलीगढ़ मण्डल	10	4.50
4	आजमगढ़	10	4.50
5	मऊ	10	4.50
6	बलिया	10	4.50
	आजमगढ़ मण्डल	30	13.50
7	इलाहाबाद	10	4.50
8	कौशाम्बी	10	4.50
9	फतेहपुर	10	4.50
	इलाहाबाद मण्डल	30	13.50
10	कानपुर देहात	10	4.50
11	इटावा	10	4.50
12	औरैया	10	4.50
	कानपुर मण्डल	30	13.50
13	गोरखपुर	10	4.50
14	महाराजगंज	10	4.50
15	देवरिया	10	4.50
16	कुशीनगर	10	4.50
	गोरखपुर मण्डल	40	18.00
17	बांदा	10	4.50
18	हमीरपुर	10	4.50
19	महोबा	10	4.50
	चित्रकूट मण्डल	30	13.50
20	झांसी	10	4.50
	झांसी मण्डल	10	4.50
21	गोण्डा	20	9.00
22	बहराइच	10	4.50
23	श्रावस्ती	10	4.50
	देवी पाटन मण्डल	40	18.00
24	फैजाबाद	103	46.35
25	अम्बेडकर नगर	60	27.00
26	सुल्तानपुर	20	9.00
	[illegible]	[illegible]	62.35

1	2	3	4
27	बरेली	10	4.50
28	शाहजहाँ पुर	10	4.50
29	पीलीभीत	10	4.50
	बरेली मण्डल	30	13.50
30	बस्ती	10	4.50
31	सैदकबीर नगर	10	4.50
32	सिद्धार्थनगर	10	4.50
	बस्ती मण्डल	30	13.50
33	गाजियाबाद	10	4.50
34	गौतमबुद्ध नगर	10	4.50
35	बुलन्दशहर	10	4.50
	मेरठ मण्डल	30	13.50
36	मुरादाबाद	10	4.50
37	बिजनौर	10	4.50
	मुरादाबाद मण्डल	20	9.00
38	लखनऊ	10	4.50
39	उन्नाव	10	4.50
40	रायबरेली	10	4.50
41	हरदोई	10	4.50
42	लखीमपुर खीरी	10	4.50
	लखनऊ मण्डल	50	22.50
43	वाराणसी	10	4.50
44	चन्दौली	10	4.50
45	गाजीपुर	10	4.50
46	जौनपुर	10	4.50
	वाराणसी मण्डल	40	18.00
47	मिर्जापुर	10	4.50
48	सोनभद्र	10	4.50
49	सन्तरविदास नगर	10	4.50
	विन्ध्याचल मण्डल	30	13.50
50	मुजफ्फरनगर	10	4.50
	सहारनपुर मण्डल	10	4.50
	प्रदेश योग	663	298.35